



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 386]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

**सा.का.नि. 459(अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, एतद केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहा है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में, (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)

- (i) नियम -2 -परिभाषाओं में, उप नियम (क) में पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--  
(क) "प्रशासनिक पद" से अभिप्रेत है जिसमें **अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट पद है**
- (ii) नियम 2 के में विद्यमान उप-नियम (क) की उप-नियम (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) नियम 2 के उप-नियम (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), में (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) को फिर पुनःसंख्याकित किया जाएगा।
- (iii) नियम-7 में, उप-नियम (2) के पश्चात् उप-नियम (2) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--  
(3) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iv) उक्त नियमों में, अनुसूचियों उच्च प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित क्रम संख्या 1 के अधीन ग्रेड वेतन, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतन मान से संबंधित प्रविष्टि 1 के अधीन, विद्यमान (iii) पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

क्र.सं.	ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1	(iv) उत्कृष्टता आचार्य या प्रमुख परामर्शदाता या प्रमुख सलाहकार या प्रमुख सीएमओ (एचएजी)	स्तर-17 (रु.225000) या; स्तर -15 (रु.182200-224100) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना तारीख 11.08.2018 तथा समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार प्रशासनिक पद से गैर-प्रशासनिक पद पर अधिक परिवर्तन के समय अधिकारी द्वारा आहरित वेतनमान के आधार पर

(v) क्र.सं. 2 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा :-

क्र.सं.	ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
	निदेशक-आचार्य या परामर्शदाता या सलाहकार या वरिष्ठ सीएमओ (एसएजी) सहित अन्य पद	स्तर-14 (रु.144200-218200 रु.)

(vi) अनुसूची- I में, उक्त अनुसूची में शीर्षक "III-स्नातकोत्तर भत्ता" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

**स्नातकोत्तर भत्ता:** मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) सहित चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त कोई मेडिकल स्नातक, जिसके लिए कोई मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता आवश्यक नहीं है, उसे सुसंगत वेतनमान पर स्वीकार्य वेतन से ऊपर उसी दर पर स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाएगा जैसाकि सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या अनुसूची-VI में निर्दिष्ट पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री धारकों के लिए या भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के तहत निर्णय किया जा सकता है;

परंतु, यदि किसी अधिकारी के पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री दोनों हैं, उसे केवल स्नातकोत्तर डिग्री रखने के लिए लागू दर पर स्नातकोत्तर भत्ता का संदत्त किया जाएगा।

(vii) उक्त नियमों में अनुसूची II में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीर्षक के अधीन, क्रम सं. 3 में उच्च प्रशासनिक श्रेणी शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

3	अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या संस्थानों और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख	16 ( इनमें से 06 पद पलवमान पद है।) टिप्पण:- उच्च प्रशासनिक और उच्चतर ग्रेड में कुल सेवा के आचार्य या प्रमुख सलाहकार या प्रमुख सलाहकार या वरिष्ठ सीएमओ (एचएजी) के गैर प्रशासनिक पदों सहित सेवा के पदों की कुल कैडर संख्या का पांच प्रतिशत (5%) से अधिक नहीं होगी सेवा और संवर्ग की स्वीकृत संख्या की कुल संख्या के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की जाएगी।
---	--	--

।";

(viii) उक्त नियमों में, अनुसूची II में, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" के क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

4	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अन्य पद (स्तर-14 रु. 144200-218200)	
	(I) शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग पलवमान पद (निदेशक – प्रोफेसर या संकाय या निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक या प्राचार्य या विभागाध्यक्ष (निदानशाला/गैर-निदानशाला)	78

	(II) गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग फ्लोटिंग पद (परामर्शदाता या निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक या अपर चिकित्सा अधीक्षक या विभागाध्यक्ष (क्लीनिकल/नान-क्लीनिकल))	91
	(III) साधारण ड्यूटी उप-संवर्ग	
1.	अपर आयुक्त (मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य), परिवार कल्याण विभाग	01
	(IV) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग	
1.	अपर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग	04

(ix) उक्त नियमों में अनुसूची- II में, शीर्षक (I) शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (सहायक प्रोफेसर या सहबद्ध आचार्य या आचार्य), उप-शीर्षक 1(क) **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली** के नीचे क्रम संख्या 28 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:

	29. पैडियाट्रीक नेफ्रोलॉजी	03
--	----------------------------	----

(x) उक्त नियमों में अनुसूची- II में, शीर्षक 4(I) शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (सहायक आचार्य या सहबद्ध आचार्य या आचार्य), 1(आई) अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, मुम्बई के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:--

**(ड) सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**

1.	यूरोलॉजी	10
2.	रेडियोलोजी	12
3.	सीटीवीएस	06
4.	पल्मोनरी मेडिसिन	06
5.	तंत्रिका-विज्ञान	15
6.	कार्डियलजी	09
7.	अंतःस्त्राविका	04
8.	नेफ्रोलॉजी	08
9.	न्यूरोसर्जरी	08
10.	नाभिकीय ओषधि	05
11.	जैव रसायन विज्ञान	05
12.	क्लिनिकल हेमटोलॉजी	04
13.	कीटाणु-विज्ञान	04
14.	एनेस्थेसिया	20
<b>कुल</b>		<b>116</b>

**(ढ) आपातकालीन ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**

1.	एनेस्थेसिया	28
2.	रेडियोलोजी	09
3.	आयुर्विज्ञान	06
4.	सर्जरी	10
5.	न्यूरोसर्जरी	04
6.	बाल रोग विज्ञान	02
7.	क्लिनिकल हेमटोलॉजी	07
8.	हड्डी रोग विज्ञान	06
<b>कुल</b>		<b>72</b>

(xi) उक्त नियमों अनुसूची-II में, के अधीन शीर्षक 4(I) शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (सहायक आचार्य या सहबद्ध आचार्य या आचार्य) के उप-शीर्षक 2 में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, के अधीन (क) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के नीचे निम्नलिखित को प्रतिस्थापित/शामिल किया जाएगा:

1.	एनाटॉमी	11
2.	फिजियोलॉजी	11
3.	बायोकेमिस्ट्री	10
4.	पैथालॉजी	12
5.	फार्मोकॉलजी	08
6.	प्रिवेन्टिव एंड सोशल मेडिसिन	13
7.	सर्जरी	22
8.	माइक्रो बायोलजी	11
9.	मेडीसन	20
10.	आब्स्ट्रिक्स एंड गायनीकॉलजी	20
11.	रेडियो-डायगनॉसिस	09
12.	एप्टाम्नॉजी	18
13.	पेडियाट्रिक्स	18
14.	एनेस्थियालॉजी	12
15.	कान, नाक और गला	08
16.	आर्थोपैडिक्स सर्जरी	07
17.	स्किन और वेनेरल डिसेज़	05
18.	फोरेनसिक मेडिसिन	07
19.	रेडियो थेरेपी	06

20.	पेडिएट्रिक सर्जरी	06
21.	साइकिएट्री	01
22.	पल्मुनेरी मेडिसन	03
23.	नेफ्रालॉजी	03
<b>कुल</b>		<b>241</b>

(xii) अनुसूची-II में, शीर्षक 4(I) शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (सहायक आचार्य या सहबद्ध आचार्य या आचार्य), उप-शीर्षक 2. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, के अधीन (घ) गुरु तेग बहादूर अस्पताल-सह-चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :

**(ई) बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज**

1.	एनाटॉमी	04
2.	फिजियोलॉजी	04
3.	जीव रसायन	03
4.	आयुर्विज्ञान	04
5.	विकृति विज्ञान	07
6.	कीटाणु-विज्ञान	04
7.	उत्तरीक दवाइया	02
8.	सामुदायिक चिकित्सा	07
9.	सामान्य चिकित्सा	08
10.	बाल रोग	04
11.	तपेदिक और श्वसन संबंधी रोग	02
12.	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और कुष्ठ रोग	02
13.	मानसिक रोग	02
14.	जनरल सर्जरी	08
15.	हड्डी रोग	04
16.	ओटो-ओरिनो-लैरिंगोलॉजी	02
17.	नेत्र विज्ञान	02
18.	प्रसूति और स्त्री रोग	06
19.	अनेस्थिसियोलॉजी	06
20.	रेडियो निदान	03
21.	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास	02
22.	रेडियो थेरेपी	03
23.	पैथोलॉजी (ब्लड बैंक)	02
<b>कुल</b>		<b>91</b>

- (xiii) उक्त नियमों में अनुसूची-II में, शीर्षक 4(II) गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (विशेषज्ञ वर्ग-I या विशेषज्ञ वर्ग-II या विशेषज्ञ वर्ग-III), उप-शीर्षक (जेडजे) कृषि एवं सहकारिता पादप सुरक्षा और क्रारेनटाईन मंत्रालय में निम्नलिखित रखा जाएगा:

1	पैथोलॉजिस्ट	01
---	-------------	----

- (xiv) उक्त अनुसूची-II में, शीर्षक 4(II) गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग (विशेषज्ञ वर्ग-I या विशेषज्ञ वर्ग-II या विशेषज्ञ वर्ग-III), उप-शीर्षक (जेडएम) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (श्रमिक कल्याण संगठन) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(जेडएम) राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन		
1.	संयुक्त निदेशक (ऊतक बैंक)	01
2.	उप निदेशक (ऊतक बैंक)	01

- (xvi) उक्त अनुसूची-II में शीर्षक 4(IV) के अन्तर्गत साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग (चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी) के अंतर्गत उप-शीर्षक (क), परिवार कल्याण विभाग में "सहायक आयुक्त" को निम्नलिखित से रखा जाएगा:

1.	सहायक आयुक्त, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त-
----	---

- (xvii) उक्त नियमों में अनुसूची-II में शीर्षक 4(IV) साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग (चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी) उप-शीर्षक (जेभग) विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन या पत्तन स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत, (12) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित जाएगा:

13.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, अमृतसर	1
14.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, कालीकट	2
15.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, लखनऊ	1
16.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, गोवा	1
17.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, जयपुर	2
18.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, पुणे	1
19.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, भुवनेश्वर	2
20.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुपति	1
21.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, गया	1
22.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, चेन्नई	2
23.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, बेंगलूरु	3
24.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, हैदराबाद	3
25.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोचीन	4
26.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, त्रिचीरापली	2
27.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, अहमदाबाद	3

28. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुवनंतपुरम	3
29. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, नया मेंगलोर पत्तन	1
30. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, पारादीप	1
31. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, चेन्नई	1
32. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मर्मागाओ	2
33. एलबीक्यूयू, अगरतला	1
34. एलबीक्यूयू, पत्रापोल	1
35. पीएच (आईएच) अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	1
<b>कुल</b>	<b>93</b>

(xvii) उक्त नियमों में अनुसूची-II में, शीर्षक 4(IV) साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग (चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी), उप-शीर्षक (यट) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, (20) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

21. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रायपुर	02
22. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गांधीनगर	02
23. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इम्फाल	02
24. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुदुचेरी	02
25. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला	02
26. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, ईटानगर	01
27. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अगरतला	02
28. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इंदौर	02
29. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, आइज़वाल	01
30. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोहिमा	01
31. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गंगटोक	01
32. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पणजी	01
33. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोच्चि	02
34. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, वाराणसी	02
35. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, श्रीनगर	02
36. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जालंधर	02
37. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, विशाखापत्तनम	02
38. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बागपत	02
39. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, फरीदाबाद	02
40. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	02

- (xviii) उक्त नियमों में अनुसूची-II में, शीर्षक 4(IV) साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग (चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी), के अंतर्गत, (यत) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(यथ) राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन	
1. निदेशक	01
2. संयुक्त निदेशक (राष्ट्रीय नेटवर्क)	01
3. उप निदेशक (राष्ट्रीय नेटवर्क)	01

- (xix) उक्त नियमों में, अनुसूची III में, अनुसूची III में, स्तंभ क्रम संख्या I (iii) के सामने "प्रोन्नती के लिए" के तहत "भर्ती की पद्धतिक्रम" क्रम संख्या I (iii) में प्रविष्टि "चयन द्वारा भर्ती के ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा" को "चयन द्वारा प्रोन्नती"। आगे, क्रम संख्या II(क), II(ख), II(ग), III(क), III(ख)(1), III(ख)(2)(i), III(ख)(2)(ii), IV(क), IV(ख)(1), IV(ख)(2), V(क), V(ख)(2) तथा V(ख)(3) पर प्रविष्टि "चयन द्वारा प्रोन्नती जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा" को "चयन द्वारा प्रोन्नती" द्वारा रखा जाएगा।

- (xx) अनुसूची III में शीर्षक "I. उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड" के अधीन

क्रम संख्या (ii) एवं (iii) के सामने स्तंभ "चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा" के अन्तर्गत, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

(ii) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ या संस्थानों और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख और वेतन मैट्रिक्स (रु. 225000) के स्तर-15 में उक्त ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा

(iii) स्तर-14 में वेतन मैट्रिक्स (रु. 144200-218200) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी की इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा

- (xxiv) अनुसूची III में, II(घ)(i), II(घ)(ii), III(ख)(3)(i), III(ख)(3)(ii), IV(ख)(3) और V(ख)(4) की सभी जहाँ-जहाँ आते हैं, लोप किया जाएगा।

- (xxv) अनुसूची IV में शीर्षक (ख)(2) के अंतर्गत निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"सीधी भर्ती से व्यक्तियों की व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति"**

- (1) विशेषज्ञ ग्रेड-III के पद के लिए

**(अध्यापन या अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ या जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग)**

- |  |         |
|--|---------|
| i. अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| ii. अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं                           | सदस्य   |
| iii. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय       | सदस्य   |

**(2) चिकित्सा अधिकारी (साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग) के पद के लिए**

- |   |         |
|---|---------|
| i. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय                        | अध्यक्ष |
| ii. निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना                                  | सदस्य   |
| iii. उप सचिव (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य   |

- (xxxviii) अनुसूची V में उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित के स्थान पर रखा जाएगा:



**अनुसूची V**  
**(नियम 6(8) देखें)**

क्रम सं.	पद का नाम	सीधी भीर्ती के लिए आयु	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा
1	<p>I.अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग पद</p> <p>(1) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटीज) {स्तर-11 (67700-208700 रु.)}</p>	<p>40 वर्ष से अतधिक</p> <p>सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p>
			<p>(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुसूची VI की धारा-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा लेक्चरर के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में शामिल किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> सहायक प्रोफेसर (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा</p>

			<p>एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक लेक्चरर अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजिडेंट अथवा डिमोंस्ट्रेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित पात्रता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	<p>(2) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (सुपर स्पेशिएलिटी को छोड़कर) {स्तर-11 (रू. 67700-208700)}</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति धारा अर्हताएं को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-IV के खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा</p>

			<p>उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> सहायक आचार्य (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक प्राध्यापक अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजिडेंट अथवा डिमॉस्टर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में खेल-कूद क्षति केन्द्र में ओर्थोपैडिक्स में सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के लिए खेल-कूद क्षति अथवा खेल-कूद मेडिसिन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव एक वांछित अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 5:</b> क्षयरोग एवं श्वसन मेडिसिन/पलमोनरी मेडिसिन की विशेषज्ञता में नियुक्ति के लिए डाक्ट्रेट आफ मेडिसी (पलमोनरी मेडिसिन) वांछनीय अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 6:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	(3) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक)	40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) जैसा कि अनुसूची-VI में भाग-क, खंड-क में दर्शाया गया है।</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमॉस्टर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की तीन वर्ष की आचार्य को संबंधित व्यापक स्पेशिएलिटी में अनुभव</p>

			<p>के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	II गैर-शिक्षण उप-संवर्ग पद		
I	(1) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी) {स्तर-11 (रु. 67700-208700 रु.)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञासिधारी अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p>
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी से भिन्न)	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय</p>

	{स्तर -11 (रु. 67700-208700 रु.)}	अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p>अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> फिजिशियन (चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री डिजिज) के पद के लिए रेस्पिरेट्री डिजिज और रेस्पिरेट्री लेबोरेट्री में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।</p>
	(3) स्पेशिएलिटी ग्रेड III (गैर चिकित्सा सहित गैर क्लिनिकल) {स्तर -11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) अनुसूची VI में भाग-क, खंड क के उल्लेखानुसार</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> पांच डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> पांच वर्षों की अवधि की डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री को पूरा करने</p>

			के लिए तीन वर्षमाना जाएगा और उक्त डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम) या मजिस्टर चिरूरगुई (एम.सीएच) के अंतिमदो वर्षों की गणना अनुभवकी आवश्यकता के तौर पर की जाएगी।
	III. लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग पद विशेषज्ञ ग्रेड-III {स्तर-11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।
	IV साधारण ड्यूटी उप संवर्ग पद चिकित्सा अधिकारी {स्तर-10 (56100-177500 रु.)}	35 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटरनशिप का पूरा किया जाना हो तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी।

**टिप्पण :** मान्यताप्राप्त अध्यापन संस्थान जो एमबीबीएस/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुज्ञात/मान्यताप्राप्त से अभिप्रेत है।

**टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

**टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

**टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**टिप्पण 4:** लिखित परीक्षा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का पद भर्ती के मामले में साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वर्ष में 1 जनवरी को की जाएगी जिसकी परीक्षा आयोजित की गई है।

(xxiv) अनुसूची-VI तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**अनुसूची 6**  
**[देखें नियम 6(9) और 6(10)]**

		भाग क	भाग ख
क्रम सं.	विषय	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हताएं	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
	<b>भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक</b>		
1.	शरीर रचना विज्ञान	मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एमएससी (शरीर रचना विज्ञान), या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में मास्टर डिग्री	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ एमबीबीएस; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ; या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान)।	
3.	जैव रसायन विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) के साथ एमएससी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान); या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन)।	

4.	जैव भौतिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव भौतिकी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव भौतिकी)*, या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (जैव-भौतिकी) के साथ एमएससी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या जैव भौतिकी में एक वर्ष के प्रशिक्षण के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन)।	
5.	भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भेषज गुण विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा बैचलर या शल्य क्रिया बैचलर; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान)।	
6.	विकृति विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान)	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
7.	सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जीवाणु विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य क्रिया में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ; या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
8	रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान	डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ जैव-भौतिक विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव-भौतिक विज्ञान), या डिप्लोमा राष्ट्रीय बोर्ड (रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान)*	
	<b>भाग (क 1) गैर-नैदानिक</b>		
9	फोरेंसिक चिकित्सा	डॉक्टर ऑफ मेडिसन (फोरेंसिक चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फोरेंसिक चिकित्सा)*	फोरेंसिक चिकित्सा में डिप्लोमा
	<b>ख. नैदानिक</b>		
10.	साधारण चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)*,	



11.	बाल चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल चिकित्सा विज्ञान)*	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा, या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
12.	क्षय रोग और श्वसन चिकित्सा/ फुफ्फुसीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और श्वसन रोग); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग)/(क्षय रोग और श्वसन रोग),* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा के साथ, या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग और वक्ष रोग)*	क्षय रोग में डिप्लोमा, या क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
13.	मनोरोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग विज्ञान/मनोविज्ञान चिकित्सा)*, या मनोविज्ञान चिकित्सा में डिप्लोमा के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	मनोचिकित्सीय चिकित्सा में डिप्लोमा या मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा
14.	त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान सहित) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग विज्ञान सहित) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान/त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ/ रति रोग विज्ञान सहित/ त्वचा विज्ञान/रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग सहित) या रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान में डिप्लोमा
15.	साधारण शल्य चिकित्सा	मास्टर ऑफ सर्जरी (शल्य चिकित्सा), या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/साधारण शल्य चिकित्सा)*	
16.	आर्थोपेडिक्स	मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आर्थोपेडिक्स)*	आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा
17.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)*	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
18.	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास)*; या	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में

		डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा), या भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा के साथ शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)/शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य शल्य चिकित्सा/आर्थोपेडिक्स)* भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पुनर्वास चिकित्सा) की विशेषज्ञता में दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ या भारत में किसी भी अनुमोदित संस्थान में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	डिप्लोमा
19.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान); या एमडी (नेत्र विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नेत्र विज्ञान)*	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा, या नेत्र विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
20.	आटो-राइनो-लराइगोलोजी (कान, नाक और गला)	शल्य चिकित्सा निष्णात (आटो-राइनो-लराइगोलोजी), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आटो-राइनो-लराइगोलोजी)*	आटो-राइनो-लराइगोलोजी में डिप्लोमा
21.	विकिरण निदान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)	आयुर्विज्ञान और विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
22.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान)*	चिकित्सा विकिरण निदान (डीएमआरडी) में डिप्लोमा या समतुल्य डिप्लोमा
23.	संवेदनाहरण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संवेदनाहरण); या शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संवेदनाहरण विज्ञान)*	संवेदनाहरण विज्ञान में डिप्लोमा
24.	न्युक्लियर चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्युक्लियर चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (न्युक्लियर चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण-निदान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव-भौतिकी विज्ञान) या इसके न्युक्लियर चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	
25.	पोषण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन/ शरीर रचना विज्ञान/ विकृति विज्ञान/ चिकित्सा/ सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)* सहित	व्यावहारिक पोषण में विज्ञान निष्णात या एक वर्ष की अवधि का विशेष प्रशिक्षण
26.	मानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान);* सहित	इंडोक्रिनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
27.	प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रतिरक्षा/ प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण) * या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसन (रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/ रुधिर विज्ञान)* सहित	दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण
28.	कुटुंब चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औषधि/ सामान्य औषधि) *	
29.	विमानन चिकित्सा या विमानपत्तन चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानन चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विमानन आयुर्विज्ञान या विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) *	
30.	वृद्धावस्था विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औषधि / वृद्धावस्था विज्ञान) *	

31.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
32.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *	
33.	क्रीड़ा चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीड़ा चिकित्सा) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्रीड़ा चिकित्सा/अस्थि रोग/पीएमआर)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीड़ा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शारीरिक रचना विज्ञान)* के साथ क्रीड़ा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव।	
34.	ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)* के साथ दो वर्ष का नैदानिक चिकित्सा में अनुभव	
35.	संधिवातीय शास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संधिवातीयशास्त्र)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ संधिवातीय शास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
36.	स्वास्थ्य शिक्षा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या डॉक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/सामुदायिक चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)*	
37.	सामुद्रिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान) *या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ सामुद्रिक चिकित्सा में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	
38.	वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि रोग) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग चिकित्सा/शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास/अस्थि रोग)*	

39.	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान/विकृति विज्ञान)* या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* या विज्ञान निष्णात (विषाणु चिकित्सा) के साथ विषाणु विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
<b>अतिविशेषज्ञताएं</b>			
40.	जठार तंत्र चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जठार तंत्र चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
41.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका विज्ञान)	
42.	इंडोक्रिनोलाजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलाजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	
43.	हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)*	
44.	वृक्क रचना विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (वृक्क रचना विज्ञान)*	
45.	प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा/प्लास्टिक एवं संरचनात्मक शल्यचिकित्सा)*	
46.	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा/ वक्षीय शल्य चिकित्सा/ हृदय शल्य चिकित्सा/ वाहिकीय शल्य चिकित्सा)*	

47.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)						
48.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग शल्य चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग शल्य चिकित्सा)						
49.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मूत्र विज्ञान)						
50.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवजात विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नवजात विज्ञान) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
51.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नैदानिक रुधिर विज्ञान) या <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या</td> <td rowspan="4">के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*</td> </tr> </table> डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या	डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*	
डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण							
डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या								
डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या								
डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*								
52.	नैदानिक फार्मोकोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक फार्मोकोलॉजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फार्मोकोलॉजी)* नैदानिक फार्मोकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
53.	रोग प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकृति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* रोग प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;						
54.	चिकित्सा आनुवांशिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा आनुवांशिकी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा आनुवांशिकी)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान); या						

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या शल्य चिकित्सा (एनोटमी)* या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान/चिकित्सा/एनोटमी)* चिकित्सा आनुवांशिकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;	
55.	चिकित्सा अर्बुदविज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकिरण विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
56.	शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य सर्जरी)* शल्य चिकित्सा जठार तंत्र विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
57.	शल्य चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या मास्टर ऑफ सर्जरी (कान, नाक, गला); या मास्टर ऑफ सर्जरी (अस्थि रोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सर्जरी/ईएनटी/ अस्थि रोग विज्ञान/ प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान)* शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
58.	बाल रोग हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान)* हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
59.	पल्मोनरी मेडिसन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (पल्मोनरी मेडिसन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (पल्मोनरी मेडिसन)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (रेस्पिरेट्री मेडिसन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रेस्पिरेट्री मेडिसन/ सामान्य चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)*। पल्मोनरी मेडिसन में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित।	
<b>घ. लोक स्वास्थ्य</b>			
60.	सामाजिक और निवारक चिकित्सा या सामुदायिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और	

		निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन/ स्वास्थ्य प्रशासन)*	
61	जन-स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या तीन वर्षीय मास्टर-जन स्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य में डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या ट्रोपिकल मेडिसन में डिप्लोमा। ट्रिपिकल्स मेडिसन और स्वच्छता में डिप्लोमा
62.	जानपादिक रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)* । <b>वांछनीय</b> : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में जानपादिक रोग विज्ञान में एक वर्ष का प्रशिक्षण।	
	बाल रोग नेफ्रोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) तथा डाक्टरेट ऑफ मेडिसन (नेफ्रोलॉजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण बाल रोग नेफ्रोलॉजी में हो।	

**टिप्पण 1** : किन्ही भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियमों, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या अपवर्जित किया गया समझा जाएगा ।

**टिप्पण 2** : किसी भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

**टिप्पण 3** : नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में सम्मिलित कर सकेगा ।

**टिप्पण 4** : डीएनबी अर्हता चिकित्सा संस्था में अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता (संशोधन) विनियमावली, 2012, संशोधन अधिसूचना सं. एमसीआई-12(2)/2010-मेड.मि. तारीख 11.6.2012 या समय-समय पर यथासंधोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के उपाबंधों के अधीन होंगे।

(xxv) निम्नलिखित प्रविष्टियों को अनुसूची- VIII के रूप में शामिल किया जाएगा:



**अनुसूची VIII****[नियम 2 (क) देखें]****केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीजीएस) के प्रशासनिक पदों की सूची**

क्र.सं.	प्रशासनिक पद
i	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवालय में सीएचएस से संबंधित सभी पद
ii	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सीएचएस से संबंधित सभी पद
iii	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य महानिदेशालय योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएचएस से संबंधित सभी पद
iv	डीन
v	निदेशक
vi	प्रिंसिपल
vii	चिकित्सा अधीक्षक
viii	अपर चिकित्सा अधीक्षक
ix	संबंधित विशेषज्ञता के विभाग अध्यक्ष
x	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों में वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक
xi	अपर निदेशक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना
xii	विभिन्न सीएचएस भागीदार संस्थानों में अपर निदेशक
xiii	प्रभारी, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना पोलीक्लिनिक

[सं. ए. 12018/1/2014-सीएचएस-V]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2019

**G.S.R. 459(E).**—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Health Service Rules, 2014 namely:-

## 1. Short title and commencement: -

- (1) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Central Health Service Rules, 2014, (hereinafter referred to as the said rules)

- (i) In rule-2.-Definitions, before the existing sub-rule (a), the following sub-rule (a) shall be inserted, namely:-

“(a) Administrative post means any post as specified in Schedule-VIII.”;

- (ii) in rule 2, the existing sub-rules (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) of rule 2 shall be renumbered as sub-rule (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m).
- (iii) in rule-7, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely: -  
 “(3) The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.”;
- (iv) In the said rules, in Schedule-I, under entry I relating to Grades, Pay Band, Grade Pay or Pay Scale, under S.No.1 relating to Higher Administrative Grade after the existing entry (iii), the following shall be inserted, namely: -

“

1	(iv) Professor of Excellence or Principal Consultant or Principal Advisor or Senior CMO (HAG)	Level-17 (Rs. 225000) or; Level-15 (Rs 182200-224100) depending on the scale of pay drawn by the officer at the time of switching over from Administrative post to non-Administrative post as per DoPT notification dated 11.08.2018 and amended from time to time.
---	---	---

”;

- (v) For S. No. 2, the following shall be substituted, namely: -

“

2.	Senior Administrative Grade	
	Other posts including Director-Professor or Consultant or Advisor or Senior CMO(SAG)	Level-14 (Rs 144200-218200)

”;

- (vi) In said rules, in Schedule-I, for “III-Post Graduate Allowance”, the following shall be substituted namely-

**“Post Graduate Allowance:** A Medical Graduate appointed to the post of Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer including Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), for which a recognized Post Graduate Qualification is not essential, shall be given Post Graduate Allowance over and above the pay admissible in the relevant scale, at such rates as may be decided by the Government from time to time for possessing recognized Post Graduate Diploma or Post Graduate Degree as specified in Schedule-VI or under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956)”;

Provided that, if an officer, possess both the recognized Post Graduate Diploma and Degree, he shall be paid Post Graduate Allowance at the rate applicable for holding Post Graduate Degree only.

- (vii) In said rules, in Schedule-II under heading Higher Administrative Grade under heading MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, for existing entries at sl. No. 3 following shall be substituted, namely:-

“

3	Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organizations or National programmes.	16 (out of these 06 are floating posts) (as on 2019) <b>Note:</b> - Total number of posts in Higher Administrative and above Grade of the Service
---	---	---

		including the non-administrative posts of Professor of Excellence or Principal Consultant or Principal Advisor or Senior CMO (HAG) shall not exceed five percent (5%) of the total cadre strength of the Service and would be reckoned against total number of sanctioned strength of the cadre.
--	--	--

- (viii) In said rules, in Schedule-II, under heading MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, for sl. No. 4, the following shall be substituted, namely: -

4	Senior Administrative Grade Other posts [Level-14 (Rs. 144200-218200)]	
	(I) Teaching Specialist Sub Cadre Floating Posts [Director – Professor or Dean or Director or Medical Superintendent or Additional Medical Superintendent or Principal or Head of the Department (Clinical/Non-Clinical)]	78
	(II) Non-Teaching Specialist Sub-Cadre Floating Posts [Consultants or Director or Medical Superintendent or Additional Medical Superintendent or Head of the Department (Clinical/Non-Clinical)]	91
	(III) Public Health Sub-Cadre	
1.	Commissioner (Maternal and Child Health), Department of Family Welfare.	01
	(IV) General Duty Sub-Cadre	
1.	Additional Commissioner, Department of Family Welfare.	04

- (ix) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(I) relating to TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor), against sl. No.1, under heading (a) LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE AND SMT. SUCHETA KRIPLANI HOSPITAL, NEW DELHI, after item No.28, the following shall be inserted:

	29. Paediatric Nephrology	03
--	---------------------------	----

- (x) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(I) relating to TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor) against sl. No. 1 under heading Ministry of Health and Family Welfare, after (l) All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, the following shall be inserted:-

**(m) SUPER-SPECIALITY BLOCK, SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI**

1.	Urology	10
2.	Radiology	12
3.	CTVS	06

4.	Pulmonary Medicine	06
5.	Neurology	15
6.	Cardiology	09
7.	Endocrinology	04
8.	Nephrology	08
9.	Neurosurgery	08
10.	Nuclear Medicine	05
11.	Bio-Chemistry	05
12.	Clinical Haematology	04
13.	Microbiology	04
14.	Anaesthesia	20
<b>Total</b>		<b>116</b>

**(n) EMERGENCY BLOCK, SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI**

1.	Anaesthesia	28
2.	Radiology	09
3.	Medicine	06
4.	Surgery	10
5.	Neurosurgery	04
6.	Paediatrics	02
7.	Clinical Haematology	07
8.	Orthopaedics	06
<b>Total</b>		<b>72</b>

- (xi) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(I) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor), sub-heading 2-NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI, under (a) MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI, the following shall be substituted, namely:

	1. Anatomy	11
	2. Physiology	11
	3. Bio-Chemistry	10
	4. Pathology	12
	5. Pharmacology	08
	6. Preventive and Social Medicine	13
	7. Surgery	22
	8. Micro-Biology	11
	9. Medicine	20
	10. Obstetrics and Gynaecology	20

	11. Radio diagnosis	09
	12. Ophthalmology	18
	13. Paediatrics	18
	14. Anaesthesiology	12
	15. Ear, Nose and Throat	08
	16. Orthopaedics Surgery	07
	17. Skin and Venereal Disease	05
	18. Forensic Medicine	07
	19. Radio Therapy	06
	20. Paediatric Surgery	06
	21. Psychiatry	01
	22. Pulmonary Medicine	03
	23. Nephrology	03
	<b>Total</b>	<b>241</b>

- (xii) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(I) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor), under sub-heading 2. NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI, after entry (d) GURU TEG BAHADUR HOSPITAL-CUM-MEDICAL, COLLEGE, NEW DELHI, the following shall be inserted:

**(e) BABA SAHEB AMBEDKAR HOSPITAL AND MEDICAL COLLEGE**

1.	Anatomy	04
2.	Physiology	04
3.	Biochemistry	03
4.	Pharmacology	04
5.	Pathology	07
6.	Microbiology	04
7.	Forensic Medicine	02
8.	Community Medicine	07
9.	General Medicine	08
10.	Paediatrics	04
11.	Tuberculosis & Respiratory diseases	02
12.	Dermatology, Venereology & Leprosy	02
13.	Psychiatry	02
14.	General Surgery	08
15.	Orthopaedics	04
16.	Oto-rhino-laryngology	02
17.	Ophthalmology	02
18.	Obstetrics & Gynaecology	06

19.	Anaesthesiology	06
20.	Radio diagnosis	03
21.	Physical Medicine and Rehabilitation	02
22.	Radio therapy	03
23.	Pathology (Blood Bank)	02
<b>Total</b>		<b>91</b>

- (xiii) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(II) relating to NON-TEACHING SUB-CADRE (Specialist Grade I or Grade II or Grade III), for the entries under Sub-heading (zj) MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATION PLANT PROTECTION AND QUARANTINE, the following shall be substituted as under, namely:

1	Pathologist	01
---	-------------	----

- (xiv) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(II) NON-TEACHING SUB-CADRE (Specialist Grade I or Grade II or Grade III), after sub-heading (zm) Ministry of Labour and Employment (Labour Welfare Organisation), the following shall be inserted, namely:

(zn) NATIONAL ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANISATION		
1	1. Joint Director (Tissue Bank)	01
2	2. Deputy Director (Tissue Bank)	01

- (xv) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(IV) relating to **GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer)**, under sub-heading (A) DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE, for the entry "1. Assistant Commissioner", the following shall be substituted:

1.	Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Joint Commissioner-
----	--

- (xvi) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(IV) GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer), under sub-heading (ZJ) AIRPORT HEALTH ORGANIZATION OR PORT HEALTH ORGANIZATION, after 12, following shall be inserted:

	13. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, AMRITSAR	1
	14. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, CALICUT	2
	15. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, LUCKNOW	1
	16. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, GOA	1
	17. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, JAIPUR	2
	18. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, PUNE	1
	19. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, BHUBANESHWAR	2
	20. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, TIRUPATHI	1

21. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, GAYA	1
22. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, CHENNAI	2
23. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, BENGALURU	3
24. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, HYDERABAD	3
25. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, COCHIN	4
26. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, THRICHIRAPALLY	2
27. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, AHMEDABAD	3
28. AIRPORT HEALTH ORGANIZATION, THIRUVANTHAPURAM	3
29. PORT HEALTH ORGANIZATION, NEW MANGALORE PORT	1
30. PORT HEALTH ORGANIZATION, PARADEEP	1
31. PORT HEALTH ORGANIZATION, CHENNAI	1
32. PORT HEALTH ORGANIZATION, MARMAGAO	2
33. LBQU Agartala	1
34. LBQU Patrapole	1
35. PH(IH) Section of Dte. GHS	1
<b>Total</b>	<b>93</b>

(xvii) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(IV) GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer), under sub-heading (ZK) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, after 20, the following shall be inserted, namely:

21. CGHS, Raipur	02
22. CGHS, Gandhinagar	02
23. CGHS, Imphal	02
24. CGHS, Puduchery	02
25. CGHS, Shimla	02
26. CGHS, Itanagar	01
27. CGHS, Agartala	02
28. CGHS, Indore	02
29. CGHS, Aizawal	01
30. CGHS, Kohima	01
31. CGHS, Gangtok	01
32. CGHS, Panaji	01
33. CGHS, Kochi	02
34. CGHS, Varanasi	02
35. CGHS, Srinagar	02
36. CGHS, Jalandhar	02
37. CGHS, Visakhapatnam	02
38. CGHS, Baghpat	02

39. CGHS, Faridabad	02
40. CGHS, Jabalpur	02

- (xviii) In said rules, in Schedule-II, under heading 4(IV) GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer), after (ZP), the following shall be inserted, namely:

(ZQ) NATIONAL ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANISATION		
1	Director	01
2	Joint Director (National Network)	01
3	Deputy Director (National Network)	01
Total		03

- (xix) In said rules, in Schedule-III, under column “Method of recruitment for promotion” against sl. No. I(iii) for **“Promotion by selection failing which by direct recruitment”, “Promotion by Selection”** shall be substituted. **Further**, against sl. No. II(a), II(b), II(c), III(a), III(b)(1), III(b)(2)(i), III(b)(2)(ii), IV(a), IV(b)(1), IV(b)(2), V(a), V(b)(2) and V(b)(3), for **“Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment”, “Promotion by Selection”** shall be substituted.

- (xx) In Schedule-III, under the heading “I. Higher Administrative Grade”

Against sl. No. (ii) and (iii) under column “Field of selection and minimum qualifying service” the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:

**(ii) Additional Director General of Health Service or Heads of Institutions and Organizations or National Programmes and in Level 15 in pay matrix (Rs.182200-224100) with two years’ regular service in the Grade;**

(iii) Senior Administrative Grade Officers in Level 14 in pay matrix (Rs.144200-218200) with three years’ regular service in the Grade.

- (xxi) In the said rules, in Schedule-III, all entries at II(d)(i), II(d)(ii), III(b)(3)(i), III(b)(3)(ii), IV(b)(3) and V(b)(4) under column Method of recruitment for promotion the words “Direct recruitment” where they occur, shall be deleted.

- (xxii) In Schedule-IV, under the heading (B)(2) the following shall be substituted:

“DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION OF DIRECT RECRUITS”

- (1) For the Post of Specialist Grade-III

(Teaching or Non-Teaching Specialist or Public Health Sub-Cadre)

- |  |          |
|--|----------|
| i. Additional Secretary(Health), Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| ii. Additional Director General of Health Services                     | Member   |
| iii. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare            | Member   |

- (2) For the post of Medical Officer (General Duty Medical Officer Sub-Cadre)

- |   |          |
|---|----------|
| i. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare                             | Chairman |
| ii. Director, Central Government Health Scheme  | Member   |
| iii. Deputy Secretary (Central Health Service), Ministry of Health and Family Welfare | Member   |



(xxiii) For Schedule-V and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**Schedule-V**

(see rule 6(8))

Sl. No	Name of the Post	Age	Educational and other Qualification required
1	<p><b>I. Teaching Specialist Sub-Cadre Posts</b></p> <p>(1) Specialist Grade-III Assistant Professor (Super Specialties) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Specialty or Super-specialty mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(iii) Three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience.</b></p> <p><b>Note. 2: Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</b></p> <p><b>Note 3.-</b> For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), D.M (Immunology) or M.D (Immuno-Haematology&amp; Blood Transfusion or M.D (Pathology/ Bacteriology/Haematology) with at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology/Bacteriology/ Haematology with two years' experience or special training in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p><b>Note 4. —</b>Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching post.</p>

	<p>(2) Specialist Grade-III Assistant Professor (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1.</b> Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the concerned broad speciality.</p> <p><b>Note. 2:</b> Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p><b>Note 3.-</b> For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), D.M (Immunology) or M.D (Immuno-Haematology &amp; Blood Transfusion) or M.D (Pathology or Bacteriology or Haematology) with at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology/Bacteriology/ Haematology with two years' experience or special training in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p><b>Note 4.-</b>For recruitment to the post of Assistant Professor in Orthopaedics at the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable Qualification.</p> <p><b>Note 5.</b> For appointment in the speciality of Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine Doctorate of Medicine (Pulmonary Medicine) will be desirable qualification.</p> <p><b>Note 6.-</b>Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
--	--	---	---

	<p>(3) Specialist Grade-III Assistant Professor <b>(Non-Clinical including Non-Medical)</b> {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.</p> <p>(ii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note. 1: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the connected broad speciality.</b></p> <p>Note 2.- Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration <b>shall be taken as three years for completion of post graduate degree</b> and the last <b>two years</b> of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p><b>Note 3.-</b> Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
	<p><b>II. Non Teaching Specialist Sub-cadre posts</b></p> <p>(1) Specialist Grade III ((Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)})</p>	<p>Not exceeding forty years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(102iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1.</b> Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience.</p> <p><b>Note. 2:</b> Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p>

	<p>(2) Specialist Grade-III (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),</p> <p>(ii).Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI.</p> <p>(iii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p> <p>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.</p> <p>Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p>Note. 3: For the post of Physician (Chest and Respiratory disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.</p>
	<p>(3) Specialist Grade-III (Non-Clinical including Non-Medical) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.</p> <p>(ii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p> <p>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.</p> <p>Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p>

	<p><b>III. Public Health Sub Cadre Posts</b></p> <p>Specialist Grade-III {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii).Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii). Three years' experience in the concerned Speciality after obtaining the Post-graduate degree or 5 years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate Diploma.</p>
	<p><b>IV. General Duty Sub-Cadre Posts</b></p> <p><b>Medical Officer</b> {Level 10 of Pay Matrix (Rs.56100-177500)}</p>	<p>Not exceeding thirty-five years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),</p> <p>(ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completing rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory <b>internship</b> before appointment.</p>

Note: Recognized Teaching Institutions means Medical College/ Institutions permitted/ recognized to run MBBS and / or P.G. Courses.

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).

Note 2: The Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4: In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview, the crucial date for reckoning the age limit shall be the 1<sup>st</sup> of January of the year in which the examination is held.

(xxiv) For Schedule-VI and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**SCHEDULE-VI**

[See rule 6 (9) and 6(10)]

		Section-A	Section-B
S. No.	Subject	Requisite Post Graduate Degree Qualifications	Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
	<b>Part (A) NON-CLINICAL including NON-MEDICAL</b>		
1.	Anatomy	Master of Surgery (Anatomy); or Doctor of Medicine (Anatomy); or Diplomate National Board (Anatomy); Or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Philosophy (Medical Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Science (Medical Anatomy).	
2.	Physiology	Doctor of Medicine (Physiology); or Diplomate National Board (Physiology); or M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Philosophy (Medical Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Science (Medical Physiology).	
3.	Bio-Chemistry	Doctor of Medicine (Bio-Chemistry); or Diplomate National Board (Bio-Chemistry); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Philosophy (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Science (Medical Bio-Chemistry).	
4.	Bio-Physics	Doctor of Medicine (Bio-Physics); or Diplomate National Board (Bio- Physics) ; or M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Doctor of Philosophy (Bio- Physics); or Doctor of Medicine (Physiology) or Doctor of Medicine (Bio-Chemistry) with one-year training in Bio-Physics.	
5.	Pharmacology	Doctor of Medicine (Pharmacology); or Diplomate National Board (Pharmacology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or	

		Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Science (Pharmacology).	
6.	Pathology	Doctor of Medicine (Pathology); or Diplomate National Board (Pathology); or Doctor of Philosophy (Pathology); or Doctor of Science (Pathology).	Diploma in Clinical Pathology; or Diploma in Pathology and Bacteriology.
7.	Microbiology or Bacteriology	Doctor of Medicine (Bacteriology); or Diplomate National Board (Bacteriology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Diplomate National Board (Microbiology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Med. Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Philosophy (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Science (Medical Bacteriology); Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Medical Microbiology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Science (Medical Microbiology).	Diploma in Bacteriology; or  Diploma in Pathology and Bacteriology
8.	Radiological Physics	Master of Science (Physics/Chemistry/Bio-Physics) with Doctor of Philosophy (Physics/Chemistry/Bio-Physics); or Diplomate National Board (Radiological Physics)	
	<b>Part (A1) NON-CLINICAL</b>		
9.	Forensic Medicine	Doctor of Medicine (Forensic Medicine); <b>or</b> Diplomate National Board (Forensic Medicine)	Diploma in Forensic Medicine
	<b>B. CLINICAL</b>		
10.	General Medicine	Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Medicine/General Medicine)	
11.	Paediatrics	Doctor of Medicine (Paediatrics); <b>or</b> Diplomate National Board (Paediatrics)	Diploma in Paediatrics; or Diploma in Child Health.
12.	Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	Doctor of Medicine (Tuberculosis); or Doctor of Medicine (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Diplomate National Board (Tuberculosis)/ (Tuberculosis and Respiratory Diseases) ; or  Doctor of Medicine (Medicine)   with Diploma in or	Diploma in Tuberculosis Diseases; or Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases

		<p>Diplomate National Board (Medicine) *; or</p> <p>Doctor of Medicine (Tuberculosis and Chest Diseases); <b>or</b> Diplomate National Board (Tuberculosis and Chest Disease) .</p>	<p>Tuberculosis Diseases or Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases.</p>	
13.	Psychiatry	<p>Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Psychological Medicine); or Diplomate National Board (Psychiatry/Psychological Medicine); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine.</p>		<p>Diploma in Psychological Medicine or Diploma in Psychiatry</p>
14.	Dermatology, Venereology and Leprosy	<p>Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology, Venereology and Leprosy); or Doctor of Medicine (Dermatology); or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology); or</p> <p>Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology or Leprosy); or Diplomate National Board (Dermatology and Venereology/ Dermatology, Venereology and Leprosy/Dermatology/Dermatology including Venereology/Dermatology including Venereology or Leprosy); or</p> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine).</p>	<p>with Diploma in Venereology and Dermatology or Diploma in Dermatology.</p>	<p>Diploma in Venereology and Dermatology or in Dermatology and Venereology.</p>
15.	General Surgery	<p>Master of Surgery (Surgery); or Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (Surgery/General Surgery)</p>		
16.	Orthopaedics	<p>Master of Surgery (Orthopaedics); or Diplomate National Board (Orthopaedics)</p>		<p>Diploma in Orthopaedics</p>



17.	Obstetrics and Gynaecology	Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology); or Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology); or Diplomate National Board (Obstetrics and Gynaecology)	Diploma in Gynaecology and Obstetrics
18.	Physical Medicine and Rehabilitation	Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Diplomate of National Board (Physical Medicine and Rehabilitation) ; or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or Master of Surgery (General Surgery)/Master of Surgery (Orthopaedics) or Diplomate National Board (General Surgery/Orthopaedics)	Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation. with Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation with two years' special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two Years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India.
19.	Ophthalmology	Master of Surgery (Ophthalmology); or Doctor of Medicine (Ophthalmology); or Diplomate of National Board (Ophthalmology)	Diploma in Ophthalmology; or Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery
20.	Oto-Rhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat)	Master of Surgery (Oto-Rhino-Laryngology); or Diplomate of National Board (Oto-Rhino-Laryngology).	Diploma in Oto-Rhino-Laryngology
21.	Radio-diagnosis	Doctor of Medicine (Radio-diagnosis); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology); or Diplomate National Board (Radio-diagnosis/Radiology) .	Diploma in Medical Radio Diagnosis (DMRD) or equivalent diploma.
22.	Radio- Therapy	Doctor of Medicine (Radio-Therapy); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology); or Diplomate National Board (Radio-therapy/Radiology).	Diploma in Medical Radio Therapy (DMRT) or equivalent diploma.
23.	Anaesthesiology	Doctor of Medicine (Anaesthesiology); or Master of Surgery (Anaesthesiology); or Diplomate National Board (Anaesthesiology).	Diploma in Anaesthesiology

24.	Nuclear Medicine	<p>Doctor of Medicine (Nuclear Medicine); or Diplomate National Board (Nuclear Medicine) ; or</p> <p>Doctor of Medicine (Radio-Therapy) or Diplomate National Board (Radio-Therapy); or</p> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or</p> <p>Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis) or Diplomate National Board (Radio-diagnosis) ; or</p> <p>Doctor of Medicine (Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine.</p>	<p>with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre</p> <p>with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine</p> <p>with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre</p>	
25.	Nutrition	<p>Doctor of Medicine in Biochemistry or Doctor of Medicine in Physiology or Doctor of Medicine in Pathology or Doctor of Medicine in Medicine or Doctor of Medicine in Social and Preventive Medicine or Doctor of Medicine in Community Medicine or Doctor of Medicine in Paediatrics or Diplomate National Board (Biochemistry/ Physiology / Pathology/Medicine/Social and preventive Medicine/Community Medicine/Paediatrics)</p>	<p>with Master of Science in applied Nutrition or Special training for a period of one year.</p>	
26.	Human Metabolism	<p>Doctor ate of Medicine (Endocrinology); or Diplomate National Board (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Paediatrics) or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics).</p>	<p>with two years special training Endocrinology.</p>	

27.	Immuno-Haematology and Blood Transfusion	<p>Doctorate of Medicine (Immunology); or          Doctor of Medicine (Immuno-Haematology and Blood Transfusion); or          Diplomate National Board (Immunology/ Immuno-Haematology and Blood Transfusion) ; or</p> <p>Doctor of Medicine in Pathology/   with two years          Doctor of Medicine in   teaching          Bacteriology/   experience or          Doctor of Medicine in   special training in          Haematology or   the          Diplomate National Board   department of          (Pathology/Bacteriology/   immuno-          Haematology)   Haematology and          Blood Transfusion.</p>	
28.	Family Medicine	<p>Doctor of Medicine (Family Medicine); or          Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Family Medicine/General Medicine)</p>	
29.	Aviation Medicine or Aerospace Medicine	<p>Doctor of Medicine (Aviation Medicine); or          Doctor of Medicine (Aerospace Medicine); or          Diplomate National Board (Aviation Medicine/Aerospace Medicine)</p>	
30.	Geriatrics	<p>Doctor of Medicine (Family Medicine); or          Doctor of Medicine (General Medicine); or          Doctor of Medicine (Geriatrics); or Diplomate National Board (Family Medicine/General Medicine/Geriatrics) .</p>	
31.	Health Administration	<p>Doctor of Medicine (Health Administration); or          Doctor of Medicine (Hospital Administration); or          Doctor of Medicine (Community Health Administration); <b>or Diplomate National Board (Health Administration/Hospital Administration/Community Health Administration).</b></p>	
32.	Hospital Administration	<p>Doctor of Medicine (Hospital Administration); or          Doctor of Medicine (Community Health Administration); or          Doctor of Medicine (Health Administration); or          Diplomate National Board (Health Administration/Hospital Administration/Community Health Administration).</p>	
33.	Sports Medicine	<p>Doctor of Medicine (Sports Medicine); or          Master of Surgery (Orthopaedics); or          Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or          Diplomate National Board (Sports Medicine/Orthopaedics/PMR) ; or</p>	

		Doctor of Medicine (Physiology) or Diplomate National Board (Physiology)	with two years' experience in Sports Medicine	
34.	Tropical Medicine	Doctor of Medicine (Tropical Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Tropical Medicine/General Medicine); or Doctor of Medicine (Microbiology) or Diplomate National Board (Microbiology)	plus, two years' experience in clinical medicine.	
35.	Rheumatology	Doctor of Medicine (Rheumatology) : or Diplomate National Board (Rheumatology); or  Doctor of Medicine (Medicine); or or Diplomate National Board (Medicine)	with two years' experience in Rheumatology or Immunology	
36.	Health Education	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine/Health Administration/ Community Health Administration).		
37.	Marine Medicine	Doctor of Medicine (Physiology); or Diplomate National Board (Physiology); or Doctor of Medicine in Medicine; or Diplomate National Board (Medicine).	with two years' special training in Marine Medicine	
38.	Occupational Health	Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Master of Surgery (Orthopaedics); or Diplomate National Board (Psychiatry/Physical Medicine and Rehabilitation/Orthopaedics).		
39.	Virology	Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pathology); or Diplomate National Board (Microbiology/Pathology); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine)	with two years' special training in Virology.	

		or Master of Science (Medical Virology) with Doctor of Philosophy in Virology.	
--	--	---	--

**SUPER SPECIALITIES**

40.	Medical Gastroenterology	Doctorate of Medicine (Medical Gastroenterology); or Doctorate of Medicine (Gastroenterology); or Diplomate National Board (Medical Gastroenterology/Gastroenterology) ; or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	with two years special training in Gastroenterology.
41.	Neurology	Doctorate of Medicine (Neurology); or Diplomate National Board (Neurology)	
42.	Endocrinology	Doctorate of Medicine (Endocrinology); or Diplomate National Board (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	with two years' special training in Endocrinology.
43.	Cardiology	Doctorate of Medicine (Cardiology); or Diplomate National Board (Cardiology)	
44.	Nephrology	Doctorate of Medicine (Nephrology); or Diplomate National Board(Nephrology)	
45.	Plastic and Reconstructive Surgery	Magister Chirurgie (Plastic Surgery); or Magister Chirurgie (Plastic and Constructive Surgery); or Diplomate National Board (Plastic Surgery/Plastic and Reconstructive Surgery)	
46.	Cardio Vascular and Thoracic Surgery	Magister Chirurgie (Cardio Vascular and Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Cardiac Surgery); or Magister Chirurgie (Vascular Surgery); or Diplomate National Board (Cardio Vascular and Thoracic Surgery/ Thoracic Surgery/Cardiac Surgery/Vascular Surgery)	
47.	Neuro Surgery	Magister Chirurgie (Neuro Surgery); or Diplomate National Board (Neuro Surgery)	
48.	Paediatric Surgery	Magister Chirurgie (Paediatric Surgery); or	

		Diplomate of National Board (Paediatric Surgery).			
49.	Urology	Magister Chirurgie (Urology); or Diplomate of National Board (Urology).			
50.	Neonatology	<p>Doctorate of Medicine (Neonatology); <b>or</b> Diplomate National Board (Neonatology); or</p> <table border="1"> <tr> <td>Doctor of Medicine (Paediatrics);<b>or</b> Diplomate National Board (Paediatrics)</td> <td>with two years' special training in Neonatology</td> </tr> </table>	Doctor of Medicine (Paediatrics); <b>or</b> Diplomate National Board (Paediatrics)	with two years' special training in Neonatology	
Doctor of Medicine (Paediatrics); <b>or</b> Diplomate National Board (Paediatrics)	with two years' special training in Neonatology				
51.	Clinical Haematology	<p>Doctorate of Medicine (Clinical Haematology); or Diplomate National Board (Clinical Haematology) ; or</p> <table border="1"> <tr> <td>Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Doctor of Medicine (Pathology) ; <b>or</b> Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/ Pathology)</td> <td>with two years' special training in Clinical Hematology.</td> </tr> </table>	Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Doctor of Medicine (Pathology) ; <b>or</b> Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/ Pathology)	with two years' special training in Clinical Hematology.	
Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Doctor of Medicine (Pathology) ; <b>or</b> Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/ Pathology)	with two years' special training in Clinical Hematology.				
52.	Clinical Pharmacology	<p>Doctorate of Medicine (Clinical Pharmacology); or Diplomate National Board (Clinical Pharmacology); or</p> <table border="1"> <tr> <td>Doctor of Medicine (Pharmacology) ; or Diplomate National Board (Pharmacology).</td> <td>with two years' special training in Clinical Pharmacology</td> </tr> </table>	Doctor of Medicine (Pharmacology) ; or Diplomate National Board (Pharmacology).	with two years' special training in Clinical Pharmacology	
Doctor of Medicine (Pharmacology) ; or Diplomate National Board (Pharmacology).	with two years' special training in Clinical Pharmacology				
53.	Immunology	<p>Doctorate of Medicine (Immunology); or Diplomate National Board (Immunology); or</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Pathology/Microbiology/Pediatrics).</p> </td> <td>with two years special training in Immunology.</td> </tr> </table>	<p>Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Pathology/Microbiology/Pediatrics).</p>	with two years special training in Immunology.	
<p>Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Pathology/Microbiology/Pediatrics).</p>	with two years special training in Immunology.				
54.	Medical Genetics	Doctorate of Medicine (Medical Genetics); or Diplomate National Board (Medical Genetics) ; or			

		<p>Doctor of Medicine (Pediatrics) or Doctor of Medicine (Medicine) or Master of Surgery (Anatomy)</p> <p>Diplomate National Board (Pediatrics/Medicine/Anatomy).</p>	<p>with two years' special training in Medical Genetics.</p>	
55.	Medical Oncology	<p>Doctorate of Medicine (Medical Oncology); or Diplomate National Board (Medical Oncology); or</p> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Radiotherapy) or Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Medicine/Radiotherapy/Pediatrics).</p>	<p>with two years' special training in Medical Oncology.</p>	
56.	Surgical Gastroenterology	<p>Magister Chirurgie (Surgical Gastroenterology); or Diplomate National Board (Surgical Gastroenterology); or Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (General Surgery).</p>	<p>with two years' special training in surgical Gastroenterology.</p>	
57.	Surgical Oncology	<p>Magister Chirurgie (Surgical Oncology); or Diplomate National Board (Surgical Oncology) ; or</p> <p>Master of Surgery (General Surgery); or Master of Surgery (Ear, Nose, Throat); or Master of Surgery (Orthopedics); or Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynecology); or Diplomat National Board (Surgery/ENT/Orthopedics/Obst. &amp; Gynae.)</p>	<p>with two years' special training in Surgical Oncology.</p>	
58.	Paediatric Cardiology	<p>Doctorate of Medicine (Paediatric Cardiology); or Diplomate National Board (Paediatric Cardiology) ; or Doctorate of Medicine (Cardiology); or Diplomate National Board (Cardiology); or</p>		

		Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Pediatrics).	with two years' special training in Cardiology.	
59.	Pulmonary Medicine	Doctorate of Medicine (Pulmonary Medicine); or Diplomate National Board (Pulmonary Medicine); or  Doctor of Medicine (Respiratory Medicine) or Doctor of Medicine (General Medicine) or Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Respiratory Medicine/General Medicine/Pediatrics).	with two years' special training in Pulmonary Medicine.	
<b>D. PUBLIC HEALTH</b>				
60.	Social and Preventive Medicine or Community Medicine	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Doctor of Medicine (Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine/Community Health Administration/Health Administration) .		
61.	Public Health	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration.); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine / Health Administration/Community Health Administration); or three years' Master of Public Health.		Diploma in Public Health; or Diploma in Industrial Health; or Diploma in Tropical Medicine. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene.
62.	Epidemiology	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration.); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine or Community Medicine or Health Administration or Community Health Administration).  Desirable: One year training in Epidemiology in a recognized institution.		
	Paediatric Nephrology	Doctor of Medicine (Pediatrics) with Doctorate of Medicine (Nephrology); or Three years' post Doctor of Medicine teaching experience of which Two years' special training in Paediatric Nephrology		



**Note 1:** Any Post Graduate Degree or Diploma awarded by any Indian Universities, included in or excluded from, the schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), consequent to recognition granted or withdrawn by Government of India as per provisions of the said Act shall be deemed to have been included or excluded accordingly from the Schedule-VI

**Note 2:** - The Post Graduate Medical Qualifications awarded by Indian Universities, must have been included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for the purpose of Schedule-VI.

**Note 3.-** The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include any medical qualification in Part A, Part B, Part C or Part D of Schedule-

**Note 4-** DNB qualification is subject to the provisions of the requirement prescribed in Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution (Amendment) Regulations 2012, amendment Notification No. MCI-12(2)/2010-Med. Misc dated 11.06.2012 or as amended from time to time.

(xxv) In said rules, after the Schedule –VII, the following SCHEDULE-VIII shall be inserted, namely:--

### SCHEDULE- VIII

[see rule 2(a)]

#### List of Administrative Posts of Central Health Service (CHS)

Sr. No.	Administrative Posts
i.	All posts belonging to CHS in the Secretariat of Ministry of Health & Family Welfare.
ii.	All posts belonging to CHS in Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare.
iii.	All posts belonging to CHS in Directorate Central Government Health Scheme, Ministry of Health & Family Welfare.
iv.	Dean
v.	Director
vi.	Principal
vii.	Medical Superintendent
viii.	Additional Medical Superintendent
ix.	Head of Department of Respective Specialty
x.	Senior Regional Director in Regional Office for Health & Family Welfare
xi.	Additional Director, Central Government Health Scheme
xii.	Additional Director in various CHS participating Institutes
xiii.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinics

[F. No. A.12018/1/2014-CHS.V]

LAV AGARWAL, Jt. Secy.